

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल
E-Mail- additionaldirector10@gmail.com

क्रमांक/वि०सेल/ए/१/२०१८/६७
प्रति,


भोपाल, दिनांक १/१०/१८

१. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
२. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
(मण्डला डिण्डौरी, अलीराजपुर, बड़वानी, अनूपपुर,
झाबुआ को छोड़कर) मध्यप्रदेश।

विषय :- मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग, सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, २०१८ के तहत अध्यापक संवर्ग को स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नियुक्ति बाबत।

संदर्भ :- म०प्र०शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-१-५९/२०१८/२०-१ दिनांक १०.०८.२०१८ एवं लोक शिक्षण संचालनालय, म०प्र० का पत्र क्रमांक/शि०क०/वि०शे०/ ए/१/२०१८/०७ दिनांक २१.०८.२०१८

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक ०६.१०.२०१८ से प्रदेश में विधान सभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुये आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। अतः भर्ती नियम २०१८ के अन्तर्गत अध्यापक संवर्ग के व्यक्तियों की नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से स्थगित की जाती है। कृपया सुनिश्चित करें कि नवीन संवर्ग में कोई भी नियुक्ति आदेश जारी न किया जाये।


(जयश्री किराणत) ४
आयुक्त
लोक शिक्षण, म०प्र०

पृ०क्रमांक/वि०सेल/ए/१/२०१८/६८
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक १/१०/१८

१. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
२. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
३. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, (एनआईसी) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
४. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


आयुक्त
लोक शिक्षण, म०प्र०